

13115



क्षेत्रीय कार्यालय, म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
दीन दयाल नगर, हाऊसिंग बोर्ड कॉलोनी, सागर
Telefax-07582-263774, E-mail-romppcb_sagar@rediffmail.com

कमांक /क्षे.का./प्रनिबो/17 सागर, दिनांक

- कार्यालय आदेश -

क्षेत्रीय कार्यालय, म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सागर, द्वारा गठित चयन समिति की अनुशंसा अनुसार सुश्री दिव्या राय पिता श्री शिव चरन राय को केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा प्रायोजित "राष्ट्रीय परिवेशीय वायु गुणवत्ता प्रबोधन कार्यक्रम"(NAMP) के तहत जे.एल.ए. (JLA) के पद पर आदेश जारी होने की दिनांक से 30.06.2018 तक की अवधि हेतु अनुबंध पर प्रतिमाह रू0. 14,000/- (रुपये चौदह हजार प्रतिमाह मात्र) के स्थिर वेतन (Fixed Pay) की दर पर निम्नलिखित शर्तों के तहत सीमित अवधि हेतु अनुबंधित किया जाता है:-

1. चयनित उम्मीदवार का चयन पूर्णतः अस्थाई है। यह बोर्ड के किसी पद पर नियुक्ति नहीं है, बल्कि प्रोजेक्ट के अन्तर्गत सीमित अवधि के कार्य हेतु अनुबंध है।
2. अवधि पूर्ण होने पर नियुक्त कर्मचारी की सेवा बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त हो जावेगी।
3. इस आदेश के जारी होने की दिनांक से 07 दिन की अवधि में कार्यभार ग्रहण करना होगा, उपरोक्त के अभाव में नियुक्ति आदेश स्वतः निरस्त माना जावेगा।
4. NAMP के नियत स्थलों पर कार्य करना होगा।
5. चयनित उम्मीदवार को रूपये 100/- के शपथ-पत्र पर यह अनुबंध करना होगा कि यह अनुबंध पूर्ण रूप से अस्थाई है। सेवा बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त की जा सकेगी। न्यायालय में इस संबंध में कोई वाद दायर नहीं करेंगे। कार्य ग्रहण करने के साथ ही अनुबंध पत्र देना होगा, इसके पश्चात ही वेतन आहरित करने की पात्रता होगी।
6. अनुबंध के निष्पादन पर ही इन्हें कार्य ग्रहण करने की पात्रता होगी।
7. प्रोजेक्ट कार्य के अन्तर्गत अनुबंधित नियुक्ति होगी, जो कि नियुक्ति अवधि समाप्त होने पर स्वयं समाप्त हो जावेगी।
8. पदभार ग्रहण करने के दिनांक से एक माह में सिविल सर्जन का उपयुक्तता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

- हस्ताक्षर -

(व्ही.एस.राय)
क्षेत्रीय अधिकारी, सागर
सागर, दिनांक 18/12/17

पृ.क. 1518 /क्षे.का./प्रनिबो/17
प्रतिलिपि:-

1. सदस्य सचिव, म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल की ओर कृपया सूचनार्थ प्रेषित।
2. मुख्य वैज्ञानिक अधिकारी, म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल की ओर कृपया सूचनार्थ प्रेषित।
3. प्रभारी अधिकारी, आई.टी.शाखा, म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल की ओर कृपया सूचनार्थ प्रेषित।
4. लेखापाल, म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सागर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
5. सुश्री दिव्या राय पिता श्री शिवचरन राय, द्वारा सुरेन्द्र पेंटर, म.नं. 17/47, सदर बाजार, सागर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

(व्ही.एस.राय)
क्षेत्रीय अधिकारी, सागर

Dr. Yash / 2017
MOP(M) / 2017

13/17



क्षेत्रीय कार्यालय, म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
दीन दयाल नगर, हाऊसिंग बोर्ड कॉलोनी, सागर
Telefax-07582-263774, E-mail-romppcb_sagar@rediffmail.com

कमांक /क्षे.का./प्रनिबो/17 सागर, दिनांक

- कार्यालय आदेश -

क्षेत्रीय कार्यालय, म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सागर, द्वारा गठित चयन समिति की अनुशंसा अनुसार श्री स्वतंत्र अहिरवार पिता श्री गोकुल प्रसाद अहिरवार को केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा प्रायोजित "राष्ट्रीय परिवेशीय वायु गुणवत्ता प्रबोधन कार्यक्रम" (NAMP) के तहत फील्ड असिस्टेंट (field Assistant) के पद पर आदेश जारी होने की दिनांक से 30.06.2018 तक की अवधि हेतु अनुबंध पर प्रतिमाह रू0. 8000/- (रुपये आठ हजार प्रतिमाह मात्र) के स्थिर वेतन (Fixed Pay) की दर पर निम्नलिखित शर्तों के तहत सीमित अवधि हेतु अनुबंधित किया जाता है:-

1. चयनित उम्मीदवार का चयन पूर्णतः अस्थाई है। यह बोर्ड के किसी पद पर नियुक्ति नहीं है, बल्कि प्रोजेक्ट के अन्तर्गत सीमित अवधि के कार्य हेतु अनुबंध है।
2. अवधि पूर्ण होने पर नियुक्त कर्मचारी की सेवा बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त हो जावेगी।
3. इस आदेश के जारी होने की दिनांक से 07 दिन की अवधि में कार्यभार ग्रहण करना होगा। उपरोक्त के अभाव में नियुक्ति आदेश स्वतः निरस्त माना जावेगा।
4. NAMP के नियत स्थलों पर कार्य करना होगा।
5. चयनित उम्मीदवार को रूपये 100/- के शपथ-पत्र पर यह अनुबंध करना होगा कि यह अनुबंध पूर्ण रूप से अस्थाई है। सेवा बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त की जा सकेगी। न्यायालय में इस संबंध में कोई वाद दायर नहीं करेंगे। कार्य ग्रहण करने के साथ ही अनुबंध पत्र देना होगा, इसके पश्चात ही वेतन आहरित करने की पात्रता होगी।
6. अनुबंध के निष्पादन पर ही इन्हें कार्य ग्रहण करने की पात्रता होगी।
7. प्रोजेक्ट कार्य के अन्तर्गत अनुबंधित नियुक्ति होगी, जो कि नियुक्ति अवधि समाप्त होने पर स्वयं समाप्त हो जावेगी।
8. पदभार ग्रहण करने के दिनांक से एक माह में सिविल सर्जन का उपयुक्तता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

sd-

(व्ही.एस.राय)

क्षेत्रीय अधिकारी, सागर

सागर, दिनांक 18/12/17

पृ.क. 1520 /क्षे.का./प्रनिबो/17

प्रतिलिपि:-

1. सदस्य सचिव, म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल की ओर कृपया सूचनार्थ प्रेषित।
2. मुख्य वैज्ञानिक अधिकारी, म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल की ओर कृपया सूचनार्थ प्रेषित।
3. प्रभारी अधिकारी, आई.टी.शाखा, म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल की ओर कृपया सूचनार्थ प्रेषित।
4. लेखापाल, म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सागर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
5. श्री स्वतंत्र अहिरवार पिता श्री गोकुल प्रसाद अहिरवार, आनंद मार्ग स्कूल के पास, नेहा नगर, मकरोनिया सागर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

(व्ही.एस.राय)

क्षेत्रीय अधिकारी, सागर

Handwritten signature/initials

12/20

क्षेत्रीय कार्यालय, म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
दीन दयाल नगर, हाऊसिंग बोर्ड कॉलोनी, सागर

Telefax-07582-263774, E-mail-romppcb_sagar@rediffmail.com

कमांक

/क्षे.का./प्रनिबो/17

सागर, दिनांक

— कार्यालय आदेश —

क्षेत्रीय कार्यालय, म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सागर, द्वारा गठित चयन समिति की अनुशंसा अनुसार श्री आशीष पाठक पिता श्री सरोज कुमार पाठक को केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा प्रायोजित "राष्ट्रीय परिवेशीय वायु गुणवत्ता प्रबोधन कार्यक्रम" (NAMP) के तहत फील्ड असिस्टेंट (field Assistant) के पद पर आदेश जारी होने की दिनांक से 30.06.2018 तक की अवधि हेतु अनुबंध पर प्रतिमाह रू०. 8000/- (रुपये आठ हजार प्रतिमाह मात्र) के स्थिर वेतन (Fixed Pay) की दर पर निम्नलिखित शर्तों के तहत सीमित अवधि हेतु अनुबंधित किया जाता है:-

1. चयनित उम्मीदवार का चयन पूर्णतः अस्थाई है। यह बोर्ड के किसी पद पर नियुक्ति नहीं है, बल्कि प्रोजेक्ट के अन्तर्गत सीमित अवधि के कार्य हेतु अनुबंध है।
2. अवधि पूर्ण होने पर नियुक्त कर्मचारी की सेवा बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त हो जावेगी।
3. इस आदेश के जारी होने की दिनांक से 07 दिन की अवधि में कार्यभार ग्रहण करना होगा। उपरोक्त के अभाव में नियुक्ति आदेश स्वतः निरस्त माना जावेगा।
4. NAMP के नियत स्थलों पर कार्य करना होगा।
5. चयनित उम्मीदवार को रूपये 100/- के शपथ-पत्र पर यह अनुबंध करना होगा कि यह अनुबंध पूर्ण रूप से अस्थाई है। सेवा बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त की जा सकेगी। न्यायालय में इस संबंध में कोई वाद दायर नहीं करेंगे। कार्य ग्रहण करने के साथ ही अनुबंध पत्र देना होगा, इसके पश्चात ही वेतन आहरित करने की पात्रता होगी।
6. अनुबंध के निष्पादन पर ही इन्हें कार्य ग्रहण करने की पात्रता होगी।
7. प्रोजेक्ट कार्य के अन्तर्गत अनुबंधित नियुक्ति होगी, जो कि नियुक्ति अवधि समाप्त होने पर स्वयं समाप्त हो जावेगी।
8. पदभार ग्रहण करने के दिनांक से एक माह में सिविल सर्जन का उपयुक्तता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

(व्ही.एस.राय)

क्षेत्रीय अधिकारी, सागर

सागर, दिनांक 18/12/17

पृ.क. 1522/क्षे.का./प्रनिबो/17

प्रतिलिपि:-

1. सदस्य सचिव, म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल की ओर कृपया सूचनार्थ प्रेषित।
2. मुख्य वैज्ञानिक अधिकारी, म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल की ओर कृपया सूचनार्थ प्रेषित।
3. प्रभारी अधिकारी, आई.टी.शाखा, म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल की ओर कृपया सूचनार्थ प्रेषित।
4. लेखापाल, म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सागर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
5. श्री आशीष पाठक पिता श्री सरोज कुमार पाठक, 10वीं बटालियन, SAF रोड, मकरोनिया सागर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

(व्ही.एस.राय)

क्षेत्रीय अधिकारी, सागर

W/21/12/17
18/12/17

263

क्षेत्रीय कार्यालय, म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
दीन दयाल नगर, हाऊसिंग बोर्ड कॉलोनी, सागर
Telefax-07582-263774, E-mail-romppcb_sagar@rediffmail.com

561
11/11/18
18

क्रमांक

/क्षे.का./प्रनिबो/18

सागर, दिनांक

18

- कार्यालय आदेश -

क्षेत्रीय कार्यालय, म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सागर, द्वारा गठित चयन समिति की अनुशंसा अनुसार श्रीमती शमिता गौतम पिता श्री महेश कुमार गौतम को केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा प्रायोजित "राष्ट्रीय परिवेशीय वायु गुणवत्ता प्रबोधन कार्यक्रम"(NAMP) के तहत जे.एल.ए. (JLA) के पद पर आदेश जारी होने की दिनांक से 30.06.2018 तक की अवधि हेतु अनुबंध पर प्रतिमाह रू0. 14,000/- (रूपये चौदह हजार प्रतिमाह मात्र) के स्थिर वेतन (Fixed Pay) की दर पर निम्नलिखित शर्तों के तहत सीमित अवधि हेतु अनुबंधित किया जाता है:-

1. चयनित उम्मीदवार का चयन पूर्णतः अस्थाई है। यह बोर्ड के किसी पद पर नियुक्ति नहीं है, बल्कि प्रोजेक्ट के अन्तर्गत सीमित अवधि के कार्य हेतु अनुबंध है।
2. अवधि पूर्ण होने पर नियुक्त कर्मचारी की सेवा बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त हो जावेगी।
3. इस आदेश के जारी होने की दिनांक से 07 दिन की अवधि में कार्यभार ग्रहण करना होगा, उपरोक्त के अभाव में नियुक्ति आदेश स्वतः निरस्त माना जावेगा।
4. NAMP के नियत स्थलों पर कार्य करना होगा।
5. चयनित उम्मीदवार को रूपये 100/- के शपथ-पत्र पर यह अनुबंध करना होगा कि यह अनुबंध पूर्ण रूप से अस्थाई है। सेवा बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त की जा सकेगी। न्यायालय में इस संबंध में कोई वाद दायर नहीं करेंगे। कार्य ग्रहण करने के साथ ही अनुबंध पत्र देना होगा, इसके पश्चात ही वेतन आहरित करने की पात्रता होगी।
6. अनुबंध के निष्पादन पर ही इन्हें कार्य ग्रहण करने की पात्रता होगी।
7. प्रोजेक्ट कार्य के अन्तर्गत अनुबंधित नियुक्ति होगी, जो कि नियुक्ति अवधि समाप्त होने पर स्वयं समाप्त हो जावेगी।
8. पदभार ग्रहण करने के दिनांक से एक माह में सिविल सर्जन का उपयुक्तता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

sdh

(व्ही.एस.राय)

क्षेत्रीय अधिकारी, सागर

सागर, दिनांक 6/11/18

पृ.क. 1600 /क्षे.का./प्रनिबो/18

प्रतिलिपि:-

1. सदस्य सचिव, म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल की ओर कृपया सूचनार्थ प्रेषित।
2. मुख्य वैज्ञा. अधिकारी, म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल की ओर कृपया सूचनार्थ प्रेषित।
3. प्रभारी अधिकारी, आई.टी.शाखा, म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल की ओर कृपया सूचनार्थ प्रेषित।
4. लेखापाल, म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सागर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
5. श्रीमती शमिता गौतम पिता श्री महेश कुमार गौतम, द्वारा श्री प्रशांत मिश्रा, एच.आई.जी. 100, दीनदयाल नगर, मकरोनिया सागर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

(व्ही.एस.राय)

क्षेत्रीय अधिकारी, सागर

4

4/11/18
17/11

265

क्षेत्रीय कार्यालय, म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
दीन दयाल नगर, हाऊसिंग बोर्ड कॉलोनी, सागर

Telefax-07582-263774, E-mail-romppcb_sagar@rediffmail.com

कमांक

/क्षे.का./प्रनिबो/18

सागर, दिनांक



- कार्यालय आदेश -

क्षेत्रीय कार्यालय, म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सागर, द्वारा गठित चयन समिति की अनुशंसा अनुसार श्री अंकित जैन पिता श्री अरविंद जैन को केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा प्रायोजित "राष्ट्रीय परिवेशीय वायु गुणवत्ता प्रबोधन कार्यक्रम" (NAMP) के तहत फील्ड असिस्टेंट (field Assistant) के पद पर आदेश जारी होने की दिनांक से 30.06.2018 तक की अवधि हेतु अनुबंध पर प्रतिमाह रू0. 8000/- (रूपये आठ हजार प्रतिमाह मात्र) के स्थिर वेतन (Fixed Pay) की दर पर निम्नलिखित शर्तों के तहत सीमित अवधि हेतु अनुबंधित किया जाता है:-

1. चयनित उम्मीदवार का चयन पूर्णतः अस्थाई है। यह बोर्ड के किसी पद पर नियुक्ति नहीं है, बल्कि प्रोजेक्ट के अन्तर्गत सीमित अवधि के कार्य हेतु अनुबंध है।
2. अवधि पूर्ण होने पर नियुक्त कर्मचारी की सेवा बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त हो जावेगी।
3. इस आदेश के जारी होने की दिनांक से 07 दिन की अवधि में कार्यभार ग्रहण करना होगा। उपरोक्त के अभाव में नियुक्ति आदेश स्वतः निरस्त माना जावेगा।
4. NAMP के नियत स्थलों पर कार्य करना होगा।
5. चयनित उम्मीदवार को रूपये 100/- के शपथ-पत्र पर यह अनुबंध करना होगा कि यह अनुबंध पूर्ण रूप से अस्थाई है। सेवा बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त की जा सकेगी। न्यायालय में इस संबंध में कोई वाद दायर नहीं करेंगे। कार्य ग्रहण करने के साथ ही अनुबंध पत्र देना होगा, इसके पश्चात ही वेतन आहरित करने की पात्रता होगी।
6. अनुबंध के निष्पादन पर ही इन्हें कार्य ग्रहण करने की पात्रता होगी।
7. प्रोजेक्ट कार्य के अन्तर्गत अनुबंधित नियुक्ति होगी, जो कि नियुक्ति अवधि समाप्त होने पर स्वयं समाप्त हो जावेगी।
8. पदभार ग्रहण करने के दिनांक से एक माह में सिविल सर्जन का उपयुक्तता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

(व्ही.एस.राय)

क्षेत्रीय अधिकारी, सागर

सागर, दिनांक 06/11/18

पृ.क. 1602 /क्षे.का./प्रनिबो/18

प्रतिलिपि:-

1. सदस्य सचिव, म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल की ओर कृपया सूचनार्थ प्रेषित।
2. मुख्य वैज्ञानिक अधिकारी, म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल की ओर कृपया सूचनार्थ प्रेषित।
3. प्रभारी अधिकारी, आई.टी.शाखा, म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल की ओर कृपया सूचनार्थ प्रेषित।
4. लेखापाल, म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सागर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
5. श्री अंकित जैन पिता श्री अरविंद जैन, जैन मंदिर के पास, वर्धमान कॉलोनी, सुबेदार वार्ड सागर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

(व्ही.एस.राय)

क्षेत्रीय अधिकारी, सागर

आंकित (Aankit)